

कार्यालयमहालेखाकार (लेखावहकदारी) पंजाबएवंयू.टी., सेक्टर-17 ई, चंडीगढ़-160017 Office of the Accountant General (A&E) Punjab & UT, Sector- 17E, Chandigarh-160017

Phone: 0172-2702174, 2702906, 2709576,2702174, 2703976
Fax: 0172- 2702286

E-mail: agaepunjab@cag.gov.in



कार्यालय आदेश/Office Order

20 मई 2025 को अखिल भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा संघ द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है, उपरोक्त के संदर्भ मे सीसीएस (आचरण) नियमवाली, 1964 के नियम 7 के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी:-

A strike call has been given by the All India Audit & Accounts Association on 20th May 2025, it is stated that as per Rule 7 of CCS (Conduct) Rules, 1964, no Government servant shall

- (i) किसी ऐसे प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा या भाग नहीं लेगा जो भारत की संप्रभुता और अखंडता , राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों के लिए हानिकारक हो, या जिसमें न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना शामिल हो, या
- (i) engage himself/herself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or which involves contempt of Court, defamation or incitement to an offence, or
- (ii) अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल या जबरदस्ती या शारीरिक दबाव का सहारा लेगा या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा देगा।
- (ii) resort to or in any way abet any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other Government servant.

भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के दिनांक 9.12.1966 के कार्यालय जापन 25/23/66-स्था.(ए) में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन के माध्यम से की जाने वाली "हड़ताल" का अर्थ है कर्मचारियों के एक समूह द्वारा मिलकर काम करने से मना करना या काम को रोकना या धीमा करना, जिसमें बिना अनुमित के सामूहिक रूप से काम से दूर रहना, सार्वजनिक हित में आवश्यक होने पर अतिरिक्त समय तक काम करने से मना करना,

ऐसी प्रथाओं या आचरण का सहारा लेना जिसके परिणामस्वरूप किसी संगठन में काम बंद हो जाए या उसमें काफी कमी आए। ऐसी प्रथाओं में 'धीरे-धीरे काम करना', 'बैठ जाना', 'पेन-डाउन', 'स्टे-इन', 'टोकन', 'काफी कमी आए। ऐसी प्रथाओं में 'धीरे-धीरे काम करना', 'बैठ जाना', 'पेन-डाउन', 'स्टे-इन', 'टोकन', 'सहानुभूतिपूर्ण' या इसी तरह की कोई अन्य हड़ताल, साथ ही बंद या इसी तरह के किसी आंदोलन में भाग लेने के लिए काम से अनुपस्थित रहना शामिल है।

The Government of India in Ministry of Home Affairs OM 25/23/66-Ests (A) dated 9.12.1966 has clarified the term "strike" by way of demonstration to mean refusal to work or stoppage or slowing down of work by a group of employees acting in combination and includes mass abstention from work without permission, refusal to work over time where such work is necessary in public interest, resort to practices or conduct which is likely to result in or results in the cessation or substantia, retardation of work in any organization. Such practices would include, what are called, 'go slow' 'sit-down', 'pen-down', 'stay-in', 'token', 'sympathetic' or any other similar strike, as also absence from work for participation in a Bandh or any similar movements.

यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी निर्देशों का उल्लंघन करके किसी प्रदर्शन/बैठक में भाग लेता है या किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा लेता है या उसे बढ़ावा देता है, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए एफआर 17 और 17ए के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कर्मचारी सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत विभागीय कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

Any government servant engaging himself/herself or participating in any demonstration/meetings in violation of the instructions and / or resorting or in any way abetting any form of strike, will be viewed seriously. Action under the provisions of FR 17 and 17A for unauthorized absence will be taken. Such employees also rendered themselves liable for a departmental action under the CCS (CCA) Rules, 1965.

अखिल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा संघ द्वारा 20 मई 2025 को हड़ताल के लिए किए गए आह्वान के हिष्टगत उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है और इस अविधि के लिए कर्मचारियों को कोई ईएल/सीएल स्वीकृत नहीं किया जाएगा। हड़ताल की अविधि के दौरान कर्मचारियों की आवाजाही के संबंध में संलग्न प्रोफार्मा में, अधोहस्ताक्षरी के लिए एक रिपोर्ट सुबह 10.30 बजे और दोपहर 03.00 बजे तैयार की जाए।

It is directed to ensure compliance with the above said instructions in view of the strike call given by All India Audit & Accounts Association on 20th May 2025 and no EL/CL may be sanctioned to the employees for this period. A report to the undersigned in the enclosed proforma, regarding the movement of the staff during the period of Strike, may be prepared at 10.30 AM. and 03.00 PM.

सभी सकन्धों की पूर्वाह्न और अपराह्न सन्नों के लिए समेकित उपस्थिति रिपोर्ट समूह अधिकारियों द्वारा

11976

1/976017/2025

संलग्न प्रोफार्मा में शाम 4.30 बजे तक उप महालेखाकार (प्रशासन) को भेजी जाए।

The consolidated attendance report for forenoon & afternoon sessions for the wing may be forwarded by the Group Officers to DAG (Admn) by 4.30 PM in the proforma enclosed.

महालेखाकार के सीधे प्रभार के अंतर्गत आने वाले अनुभागों के मामले में , रिपोर्ट महालेखाकार के सचिव को भेजी जाए, जो उस रिपोर्ट को उप महालेखाकार (प्रशासन) को भेजेंगे।

In the case of sections under the direct charge of the Accountant General, the report may be sent to the Secretary to the Accountant General, who in turn will send the report to the DAG (Admn).

Digitally signed by Sukhnandan Sabharwal Date: 16-05-2025

उप महालेखाःसः १६-०५-२०२५ उप महालेखाःसः (प्रशासन)

Deputy Accountant General (Admn)

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषितः Copy forwarded to the following for information and necessary action:

- 1. सभी समूह अधिकारी / All the Group Officers
- 2. महालेखाकार के सचिव / Secy to Accountant General
- 3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कल्याण / Sr. AO, Welfare
- 4. सभी शाखा अधिकारी / All Branch Officers
- 5. प्रशासन यू.टी. / Admn UT,
- 6. आतंरिक लेखापरीक्षा अधिकारी / Internal Audit Officer
- 7. आईटीएससी को कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / IT Support cell to upload on the office website
- 8. कार्यालय आदेश फाइल / Office Order File
- 9. सूचना पट्ट / Notice Board

Name of Section

Category of the Employee/Designation	PIP in the Category	No. of persons absent on 20.05.2025	No. of persons absent with the motto of taking park in the
Sr. AO			strike on 20.05.2025.
AAO			
Supervisor			
Asstt. Supervisor			
Sr. Accountant			
Accountant			
DEO			
Clerks			
MTS	Television grants		
Others			

(Absent) Name & Designation	Pay Code

(Absent with motto) Name & Designation	Pay Code

Branch Officer Section